

क्रमांक.प.11(1)वि.मा/99

जयपुर, दिनांक 09 अक्टूबर 2024

आदेश

विषय :- स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी संस्थाओं और राजकीय कम्पनियों इत्यादि द्वारा ब्याज सहित निजी निक्षेप खातों में रखी गई निधि/राशि पर देय ब्याज।

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19.01.2023 की निरन्तरता में वर्ष 2024-25 हेतु स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी संस्थाओं और राजकीय कम्पनियों इत्यादि के ब्याज सहित निजी निक्षेप (पी.डी.) खातों में जमा राशि पर दिनांक 01.04.2024 से तीन माह या इससे अधिक की जमाओं पर 2.70 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ब्याज के भुगतान हेतु राज्यपाल महोदय की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। तीन माह से कम अवधि की जमाओं पर कोई ब्याज देय नहीं है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(बृजेश किशोर शर्मा)

निदेशक वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1.समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, महामहिम राज्यपाल/माननीय मुख्यमंत्री।
- 3.समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण, राज्य मंत्रीगण एवं संसदीय सचिव।
- 4.प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
- 5.समस्त संभागीय आयुक्त।
- 6.समस्त संबंधित संस्थायें – बोर्ड/निगम/जिला परिषद आदि।
- 7.समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टर सहित)
- 8.समस्त कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी, राजस्थान।
- 9.कम्प्यूटर सैल, वित्त विभाग, शासन सचिवालय को वित्त विभाग की वेबसाइट पर दर्शाने हेतु।

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ प्रेषित है :-

- 1.सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
- 2.सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 3.पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
- 4.सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।

(पवन जैमन)

संयुक्त शासन सचिव